

आदेश

कार्यवाही विवरण

दिनांक

22/4/24

पत्रावली पेश हुई। कमीस 370/370 पत्र
022 R 3 CPC पेश हुआ। पत्रावली वाक
जवाब दिनांक 22/4/24 को पेश है।

24/5/24

पत्रावली पेश हुई। कमीस परामर्श 39-
सा. फा 022 R 3 CPC को रवीन्द्र सिंग जाल
पु. कमीस न्यायाधीश ने आपकी जाहिर
नामा / आदेश सा. फा 022 R 3 CPC रवीन्द्र
सिंग जाला है पत्रावली वाक पेश
होना रवीन्द्र सिंग जाल व कमीस नाम
है। दिनांक 19/6/24 को पेश है।

19/6/24

पत्रावली पेश हुई। कमीस परामर्श 39- कमीस
वाक ने रवीन्द्र सिंग जाल पेश किया।
कमीस नाम पु. में पेश किया जा चुका है।
जवाब है। अथवा वाक / अथवा
में 370 कोर्ट पर रवीन्द्र सिंग जाल
जाल आदेश दिनांक 20/6/24 को पेश है।

30/6/24

पत्रावली पेश हुई कमीस प्रवर्ग 370/370 सी. 0।
की ओर से कोर्ट को 370 नही है कतह उसके
खिलाफ रूकपत्रीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
कतह सुनी गयी कतह में कमीस वकील ने बताया
कि प्रवर्ग के प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए
न्यायालय ने अंतर्गत आदेश दिनांक 06.04.22 जारी
किया था, इसके पर्याय पत्रावली पर अर्द्ध पत्रावली
पंडन पेश नही हुआ है। कतह न्यायालय के
अंतर्गत आदेश को अंतिम किया जाये।
कतह पर अंतिम किया गया तथा
पत्रावली का अंतिम किया गया। इसके अंतर्गत

170

आदेश

कार्यवाही विवरण

30/03/22
Contd.

है कि न्यायालय द्वारा वे प्रार्थी के पक्ष के प्रथम दृष्टया मांगी जाते हुये अंतर्गत अस्वार्थ निर्णयाना दिनांक 04.02.22 को जारी की है, उसके पश्चात अपार्षीगण की ओर से अर्थात् प्रार्थी/पक्ष पर कभी हुआ है अतः अंतर्गत आदेश को कम्प्लि किया जाना न्यायोचित है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जखफ अस्वार्थ निर्णयाना स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय के अंतर्गत आदेश दिनांक 04.02.22 को मूलवाद के निस्तारण तक कम्प्लि किया जाय है तथा अपार्षीगण को पास किया जाता है कि वे मूलवाद के निस्तारण तक जाम परसशामुख के क्र. नं० 2514, 2515, 2516, 2518, 2519, 2522, 2523, 2526, 2527, 2530 के राजस्व रिपोर्ट की प्रव्याप्तिके बजाये शेषों निर्णय आज दिनांक 30/03/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसलामुमाल होइए बाद तत्काल दायिम दफतर हो।

— धार/प्रति

30/03/22

सहायक न्यायाधीश एवं न्यायालय
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) न्यायालय